

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर
पत्रांक 883 / 14-1, रामपुर दिनांक 04 अक्टूबर, 2018।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
विषय :- जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम रायपुर की खसरा संख्या-18/1 पर रामपुर-शाहबाद
मार्ग (एम0डी0आर0-53) किमी0 चैनेज 5.383 की बॉयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प(इण्डियन
ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.108068 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर
वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति देने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-737/14-1 दि0 24.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद रामपुर की तहसील सदर के रायपुर की खसरा संख्या-18/1 पर रामपुर-शाहबाद मार्ग (एम0डी0आर0-53) किमी0 चैनेज 5.383 की बॉयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प(इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.108068 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति देने के सम्बन्ध में 27.09.2018 को ई0डी0एस0 लगाकर प्रस्ताव को वापस भेज दिया गया।

यूजर एजेन्सी द्वारा ई0डी0एस0 का निराकरण कर उक्त प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रतियाँ एवं ऑनलाईन सबमिशन पुनः प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कष्ट करें।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-वरिष्ठ प्रबन्धक(खुदरा बिक्री) रामपुर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लि0 बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।